दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

प्रेस नोट

दिल्ली में बिजली उत्पादन कंपनियां - इन्द्रप्रस्थ पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), पारेषण लाइसेंसधारी - दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) और बिजली वितरण यूटिलिटीज - टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने सकल राजस्व आवश्यकता का सत्यापन (एआरआर) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्त वर्ष 2018-19 के टैरिफ निर्धारण के लिए अपनी याचिकाओं को दायर किया था। याचिकाओं के एडमिशन के बाद, याचिकाओं की कार्यकारी सारांश तैयार किए गए और सभी हितधारकों को सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उनकी याचिकाओं के साथ अपलोड किया गया। इसके साथ ही, सभी हितधारकों से विभिन्न टैरिफ मुद्दों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई, जिसके लिए आयोग द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। आयोग ने हितधारकों से प्राप्त सुझाव/सूचनाओं पर विचार करने के लिए "सार्वजनिक सुनवाई" आयोजित की, जिससे सभी हितधारकों को टैरिफ निर्धारण से संबंधित मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिला।

बीएआरएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल और एनडीएमसी के टैरिफ याचिकाओं में किए गए दावों को उनके खातों से सत्यापित करने के लिए आयोग ने उनके वित वर्ष 2016-17 के खातों की पुस्तकों को सत्यापित करने के लिए सीएजी पैनल के लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया था । याचिकाओं व सीएएनजी पैनल के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का व्यवस्थित विश्लेषण करने और हितधारकों से सुझाव/इनपुट पर विचार करने के बाद आयोग ने वित वर्ष 2016-17 के सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का सत्यापन किया है।

वित्त वर्ष 2016-17 के सत्यापन के आधार कुल संचित राजस्व अंतर यह पाया गया है

Revenue (Gap)/Surplus at end of FY 2016-17 of Distribution Licensees (Rs. Cr.)

Sr. No.	Particulars	BRPL	BYPL	TPDDL	Total
1	Opening (Gap)/Surplus for FY 2016-17 as per Tariff Order dtd. 31/08/2017	(4,233)	(2,662)	(2,454)	(9,349)
2	Revenue (Gap)/Surplus for FY 2016-17	(29)	205	(161)	15
3	Liquidation of Revenue Gap from 8% Surcharge	649	353	499	1,501
4	Total Liquidation of Revenue Gap in FY 2016-17 (2+3)	621	558	337	1,516
5	**Closing Revenue (Gap)/Surplus**	**(3,612)**	**(2,104)**	**(2,117)**	**(7,833)**

Revenue (Gap)/Surplus at end of FY 2016-17 of Distribution Licensees (Rs. Cr.) after considering the Impact based on the APTEL Judgments since 2007-08:

Sr. No.	Particulars	BRPL	BYPL	TPDDL	Total
1	**Closing Revenue (Gap)/Surplus**	**(3,612)**	**(2,104)**	**(2,117)**	**(7,833)**
2	Additional Revenue Gap due to impact of Hon'ble APTEL Judgments & Review Orders	(646)	(860)	(279)	(1,785)
2a	Principal Amount	(324)	(436)	(160)	(920)
2b	Carrying Cost	(322)	(423)	(119)	(864)
3	Closing Revenue Gap	(4,258)	(2,964)	(2,396)	(9,618)
4	Carrying Cost subsumed in ARR of FY 2018-19*	234	343	119	696
8	**Net Closing Revenue Gap till FY 2016-17 True up**	**(4,024)**	**(2,621)**	**(2,277)**	**(8,922)**

*** Carrying Cost upto FY 2015-16 has been subsumed in ARR of FY 2018-19 for BRPL, BYPL and upto FY 2016-17 for TPDDL.**

आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों के तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान और 100% संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु एनर्जी ऑडिट करने के लिए ऑडिटर नियुक्त किए हैं। यह आशा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

डीईआरसी टैरिफ विनियम, 2017 और डीईआरसी व्यवसाय योजना विनियम, 2017 में निर्दिष्ट मानक के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अनुमान लगाया गया है। अनियंत्रित मद जैसे ईंधन लागत, बिजली खरीद और बिक्री, वास्तविक उपलब्ध जानकारी के पिछले रुझानों पर आधारित हैं।

आयोग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2018-19 के एआरआर और वित्त वर्ष 2018-19 के राजस्व अधिशेष/ (अंतर) यह है :

Summary of ARR for FY 2018-19 of Distribution Licensees (Rs. Cr.)

Sr. No.	Particulars	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
A	ARR as claimed by Petitioner	10,157	5,404	7,488	1,264	24,313
B	ARR as approved by Commission	8,867	4,626	6,387	1,066	20,946
C	Carrying cost upto FY 2015-16 for Revenue Gap created during True up of FY 2016-17 due to implementation of Review Order & APTEL judgments	234	343	119	NA	696
D	**Revised ARR (B)+(C)**	**9,101**	**4,969**	**6,506**	**1,066**	**21,642**
E	**Revenue at Revised Tariff**	**9,161**	**5,013**	**6,802**	**1,103**	**22,079**
F	**Estimated Revenue Surplus/(Gap) at Revised Tariff**	**60**	**44**	**296**	**37**	**437**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए टैरिफ अनुसूची की मुख्य विशेषताएं

1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने टैरिफ संरचना को आसान बनाने और खुदरा आपूर्ति बिजली में प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए "टैरिफ रेशलनाईजेशन" पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया था। तदनुसार, फिक्स्ड और वैरिएबल शुल्क, उपभोक्ताओं के बिल पर न्यूनतम प्रभाव रखने के प्रयास के साथ फिर से संरचित किए गए हैं ।
2. 5 किलोवाट तक स्वीकृत लोड के साथ घरेलू कनेक्शन वाले परिसर में "पेइंग गेस्ट्स" को शामिल करते हुए घरेलू टैरिफ श्रेणी के प्रयोज्यता का विस्तार किया गया है।
3. प्रदूषण मुक्त परिवहन और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, ई-रिक्शा / ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशनों के पिछले वर्ष के टैरिफ को बरकरार रखा है ।
4. कैटल फार्म / डेयरी फार्म / धोबी घाट के लिए घरेलू टैरिफ की प्राप्यता को 400 यूनिट के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1000 यूनिट/माह कर दिया गया है।
5. टीओडी टैरिफ की प्राप्यता को घरेलू के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के लिए 25 किलोवॉट के स्वीकृत लोड के मौजूदा स्तर से बदल कर 10 किलोवॉट कर बढ़ा दिया गया है । 3 फेज़ कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ का लाभ लेने के लिए विकल्प प्रदान किया गया है।
6. सिविल अपील क्रमांक 884/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयोग द्वारा जमा राजस्व अंतर की मूल राशि के क्रमिक परिसमापन के लिए डिस्कॉम्स (बीआरपीएल, बीपीपीएल और टीपीडीडीएल) के उपभोक्ताओं पर 8% अतिरिक्त अधिभार की लेवी में कोई बदलाव नहीं है।
7. आयोग ने डिस्कॉम्स के काउंटर पर रुपये 4000 / - तक नकद जमा के मौजूदा सीमा को बरकरार रखा है।
8. आयोग ने उपभोक्ताओं द्वारा रुपये 50000 / - तक की नक्दी में बिजली बिलों के नामित अनुसूची वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में भुगतान की अनुमति दी है।
9. पेंशन ट्रस्ट की ओर रुपये 792 करोड़ के वित्तपोषण की राशि, जिसकी GoNCTD द्वारा सिफारिश की गई थी, आंशिक रूप से अधिभार की वसूली के माध्यम से @ 3.80% डिस्कॉम्स (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) राशि का भुगतान सीधे पेंशन ट्रस्ट के खाते में जमा किया जाएगा।

टैरिफ अनुसूची 01/04/2018 से प्रभावी होने पर लागू होगा।